न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल
जिलाः– सुपौल।

उपस्थितिः– अनंत सिंह
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

निर्णय की तिथिः– 10 मार्च, 2026

सत्र वाद संख्या–146 / 2021
सी0आई0एस0 संख्या–146 / 2021

➢ प्राथमिकी सुपौल थाना कांड संख्या–320 / 2018, दिनांक 29.05.2018

सूचक	राज्य की ओर सेः– मो0 रियासत	
राज्य की ओर से	श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक	
अभियुक्त	**1.**	श्रवण पंडित उम्र 35 वर्ष, पे0 नागेश्वर पंडित **ए–1**
	2.	सुधीर पंडित, उम्र 68 वर्ष, पे0 सुमरित पंडित **ए–2**
	3.	नागेश्वर पंडित, उम्र 70 वर्ष, पे0 सुमरित पंडित **ए–3**
		ए–1 से ए–3 तक सभी का साकिन परसौनी, थाना सुपौल, जिला सुपौल
बचाव पक्ष की ओर से	श्री जनार्दन प्रसाद साह, विद्वान अधिवक्ता	

FORM-B	
➢ घटना की तिथि	28.05.2018
➢ प्राथमिकी की तिथि	29.05.2018
➢ आरोप पत्र की तिथि	07.09.2018
➢ आरोप गठन की तिथि	23.08.2021
➢ साक्ष्य बंद होने की तिथि	02.03.2026
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	10.03.2026
➢ निर्णय की तिथि	10.03.2026
➢ Date of the Sentencing Order, if any	Not Applicable

अभियुक्त का विवरण							
अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ़्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detection Undergone during Trial for Purpose of Section 428 Cr.P.C
ए–1	श्रवण पंडित	.....	16.04..21	341, 323, 307, 504/34 भा0द0वि0	Acquitted	N/A	N/A
ए–2	सुधीर पंडित	.....	16.04..21	341, 323, 324, 307, 504/34 भा0द0वि0			
ए–3	नागेश्वर पंडित	.....	16.04..21	341, 323, 307, 379, 504/34 भा0द0वि0			

::निर्णय::

1. प्रस्तुत वाद के अभियुक्त आवेदक नागेश्वर पंडित, सुधीर पंडित एवं श्रवण पंडित के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 307 एवं 504/34 एवं अभियुक्त आवेदक नागेश्वर पंडित के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा 379 तथा अभियुक्त सुधीर पंडित के विरूद्व भा0द0वि0 324 के अंतर्गत आरोप का विचारण किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद सूचक मो0 रियासत के फर्द बयान पर आधारित है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है, कि दिनांक 28/05/2018 दिन सोमवार समय करीब 09:00 बजे सुबह में नागेश्वर पंडित, सुधीर पंडित एवं श्रवण पंडित एवं 3–4 अज्ञात अपने अपने हाथ में लाठी, डंडा, कुदाली देशी पिस्तौल, तलवार से लैश होकर गॉव से पश्चिम स्थित खेत जो सूचक एवं अभियुक्त आवेदकगण का अरिया है आड़ तोड़कर बॉध रहा था, जब सूचक को जानकारी हुई तो स्थल पर गया एवं ऐसा कार्य करने से मना किया तो नागेश्वर पंडित आदेश दिया कि साले को जान मारकर इसी खेत में दफन कर दो इतना सुनते ही सभी मिलकर उसे लप्पड़, थप्पड़, ऐड़ मुक्का से मारकर जमीन पर गिरा दिया एवं सुधीर पंडित अपने हाथ्ज्ञ में लिए तलवार से उसके सर पर जान मारने की नियत से हमला किया वह बचते रहा, जिसे तलवार का वार उसके चेहरे पर लगते रहा और वह जख्मी हो गया श्रवण पंडित अपने हाथ में लिए लाठी से उसके उपर अंधाधूंध वार करते रहा, अज्ञात व्यक्ति अपने हाथ में लिए देशी पिस्तोल लेकर लहराते हुए कहा कि कही भी केश किया तो पूरे परिवार को जान मारकर कोशी में फेंक देगें। हो हल्ला सुनकर लोग जमा हुए, जिन्होंने उसका जान बचाये एवं सदर अस्पताल लेकर गया।

3. सूचक के उपरोक्त कथन के आधार पर सुपौल थाना कांड संख्या–320/2018 दिनांक 29/05/2018 संस्थित किया गया। तत्पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त आवेदकगण नागेश्वर पंडित, सुधीर पंडित एवं श्रवण पंडित के विरूद्व आरोप पत्र सं0–485/2018 समर्पित किया गया। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा–341, 323, 324, 307, 307, 379, 504 एवं 34 के अंतर्गत दिनांक 15/07/2019 को अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विद्वान निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 16/04/2021 द्वारा वाद का दौरा सुपुर्द किया गया तथा अभिलेख दिनांक 03/05/2021 को प्राप्त हुआ। अंत में अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त नागेश्वर पंडित, सुधीर पंडित एवं श्रवण पंडित के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 307 एवं 504/34, अभियुक्त आवेदक नागेश्वर पंडित के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा 379 तथा अभियुक्त सुधीर पंडित के विरूद्व भा0द0वि0 324 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है।

5. उक्त अभियुक्तों का बयान दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 10/03/2026 को दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

6. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारण का सामने कर रहे उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे इस प्रकार साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं जिससे कि उन्हें इस वाद में दोषी साबित किया जा सके ?

मंतव्य

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचक सहित कुल 04 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1.	शिव कुमार महतो उर्फ शिवशंकर महतो	P.W.-1
2.	मो0 सहादक	P.W.-2
3.	मो0 रियासत (सूचक)	P.W.-3
4.	अलीबक्स	P.W.-4

8. इस वाद में अभियोजन की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से इस वाद में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया कि इस वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है

और न ही उक्त घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी ठोस विधिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने की प्रार्थना की गयी।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत सूचक एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से प्रतीत होगा कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध अपना मामला को साबित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्तों वाद में दोषी करार करने की प्रार्थना की गयी।

12. प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में सूचक सहित कुल 04 साक्षियों को प्रस्तुत कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी सं0–01. शिव कुमार महतो उर्फ शिवशंकर महतो है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि वे घटना के बारे में कुछ नहीं जानते है, पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था तथा मुदालह को पहचानते है। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन साक्षी सं0–02. मो0 सहादक है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि वे घटना के बारे में कुछ नहीं जानते है, पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था तथा मुदालह को पहचानते है। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

इसी तरह अभियोजन साक्षी सं0– 03. मो0 रियासत है, जो प्रस्तुत वाद के सूचक सह जख्मी है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह मुकदमा नागो पंडित, सुधीर पंडित, श्रवण पंडित के विरूद्व उसने किया था। घटना चार साल पहले की है। चार वर्ष पूर्व वह 09 बजे दिन में अपने जमीन पर घूमने गया था, तो देखा कि नागो पंडित, सुधीर पंडित, श्रवण पंडित उसके जमीन में आड़ बॉध रहा था, तो उसने मना किया तो वे लोग नहीं माना। नागो पंडित अपने घर पर फोन कर दिया और वहॉ से कुछ बदमाश को बुला लिया, नागेश्वर पंडित गाली देते हुए बोला कि इसे मार दो, सुधीर पुडित तलवार उसके सर पर चलाया, वह छिप लिया, तो तलवार उसके दोनो ऑख के बगल में लग गया। (साक्षी साक्ष्य देते समय रो रहा है), उसके दोनो ऑख के नीचे में कट गया और खून बहने लगा, उसके बाद और सभी लोग मारपीट कर उसे जमीन पर सुला दिया और नागो पंडित बोला कि इसे खत्म कर यही दफना दो, बदमाश सब बन्दूक लहरा रहा था, उसके जेब से साढ़े तीन सौ रूपया नागों पंडित निकाल लिया, लोग सब आये तो उसे उठाकर ईलाज हेतु हॉस्पीटल ले गये, सुपौल से उसे दरभंगा रेफर कर दिया गया था, दरभंगा में भी उसका ईलाज हुआ था, सुपौल में उसने दरोगा जी को लिखित आवेदन दिया था, लिखित आवेदन को दरोगा जी उसे पढ़कर समझा दिया, जिसे उसने सही पाकर उसपर अपना हस्ताक्षर कर दिया था, जिसे पहचानता है। नागो पंडित धमकी दिया था कि केश करोगे तो जान से मार देगें ओर धमकी देते है, कि मुकदमा में सुलह नहीं करोगे तो जान से मार देगें तथा मुदालह को पहचानते है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसके आड में नागो पंडित का भी खेत है, घटना का दिन सोमवार था तथा तारीख याद नहीं है। घटना वर्ष 2018 मई महीने की है। जमीन का विवाद नहीं चल रहा है, उसके जमीन में आड़ बॉधने को लेकर मुदालह लोग उसके साथ विवाद किया था। अभियुक्त लोग उसके जमीन में घुसकर दो लग्गा (13 हाथ) जमीन कब्जा कर लिया था। जमीन का पुराना नापी हुआ था, हाल में कोई नापी नहीं हुआ था, दानो पक्षों के बीच नापी के लिये कभी कोई बात नहीं हुई थी। घटनास्थल पर उसका 01 बीघा जमीन है और मुदालह लोगों का 10 धूर जमीन है। घटनास्थल पर वह सिर्फ अकेला था और मुदालह लोग 5–6 लोग था। मुदालह 5–6 आदमी में कौन कहॉ मारा था वह बता सकता है, नागो पंडित ने बोला कि मारो इसे मारकर दफना दो, सुधीर पंडितने तलवार से मारकर गिरा दिया और भवेश पंडित ने उसके गिरने के बाद उसे लाठी से मारपीट किया था। घटना के बारे में मालूम होने के बाद उसकी पत्नी घटनास्थल पर थोड़ा देर के अंदर आई, चूँकि उसके साथ घड़ी नहीं था, इसलिए वह सही समय नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि जैसा बयान दिया है वैसा घटना नहीं हुआ था तथा यह भी कहना गलत है कि दोनो पक्षों में आड़ का विवाद है और झूठा मुकदमा किया है।

इसी तरह अभियोजन साक्षी सं0–04. अलीबक्स है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस उससे पूछताछ नहीं किया था तथा अदालत में खड़े अभियुक्त को नहीं पहचानता है। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के तथ्यपरक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से सूचक, सहित कुल 04 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, लेकिन उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्व नहीं होती है, क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या–01. शिव कुमार महतो उर्फ शिवशंकर महतो, अभियोजन साक्षी सं0–02. मो0 सहादक, अभियोजन साक्षी सं0–04. अलीबक्स है, जिन्होंने अपने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस उससे पूछताछ नहीं किया तथा इन सभी साक्षियों को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। परन्तु अभियोजन साक्षी सं0–03. मो0 रियासत है, जो कांड के सूचक सह जख्मी है, इन्होंने मुख्य परीक्षण में घटना का आंशिक समर्थन करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में कहा है कि अभियुक्त आवेदक नागो पंडित के आदेश पर अभियुक्त सुधीर पंडित एवं भवेश पंडित के द्वारा उसके साथ मारपीट किया गया था, लेकिन प्रस्तुत वाद में भवेश पंडित को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। अभियुक्तों के द्वारा सूचक के साथ मारपीट की घटना कारित करने के संबंध में अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षियों के अलावे न तो चिकित्सक ना ही अनुसंधानकर्त्ता को ही परीक्षित कराया गया है। जख्मी हालत में सूचक ने जिस चिकित्सक से अपना ईलाज करवाया था, उस चिकित्सक को कांड में साक्षी नहीं बनाया है ना ही सूचक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में चिकित्सक को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है,

जबकि सूचक को अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस तरह अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियोजन की ओर से जितने भी साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है, उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि सूचक अपने वाद के समर्थन में ना तो अनुसंधानकर्त्ता, चिकित्सक ना ही किसी अन्य साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। चूँकि वाद काफी पुराना है तथा वर्ष 2018 की है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वाद में विचारण का सामना कर रहें उक्त अभियुक्तों के विरूद्व सूचक साथ हुई घटना में शामिल होने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिसे अभियोजन की घटना साबित हो सके। अतः इस न्यायालय के मतानुसार अभियोजन इस वाद के अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को सभी युक्ति–युक्त रूप से संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप :–

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त आवेदकगण नागेश्वर पंडित, सुधीर पंडित एवं श्रवण पंडित को भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504/34 एवं अभियुक्त नागेश्वर पंडित को भा0द0वि0 की धारा 379 तथा अभियुक्त सुधीर पंडित को भा0द0वि0 की धारा 324 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को बंधपत्र के समस्त उत्तरदायित्वों, यदि कोई हो, से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज यथा दिनांक 10/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–10.03.2026

लेखापित

(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–10.03.2026

Date of Judgment/ Order	10.03.2026
Date of Reserving Judgment/ Order	10.03.2026
Uploaded Date	
Uploaded by	Nitish Kumar, DEO

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

जिलाः– सुपौल।

उपस्थितिः– अनंत सिंह
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

निर्णय की तिथिः– 17 मार्च, 2026

सत्र वाद संख्या–146 / 2021
सी0आई0एस0 संख्या–146 / 2021

➢ प्राथमिकी त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या–66 / 2020, दिनांक 08.03.2020

सूचक	राज्य की ओर सेः– विजेन्द्र यादव	
राज्य की ओर से	श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक	
अभियुक्त	**1.**	नागो यादव उर्फ नागेश्वर यादव उम्र 33 वर्ष, पे0 जगदेव यादव, साकिन बरेरवा वार्ड नं0–13, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल **ए–1**
बचाव पक्ष की ओर से	श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर, विद्वान अधिवक्ता	

FORM-B	
➢ घटना की तिथि	08.03.2020
➢ प्राथमिकी की तिथि	08.03.2020
➢ आरोप पत्र की तिथि	22.07.2020
➢ आरोप गठन की तिथि	23.01.2021
➢ साक्ष्य बंद होने की तिथि	01.09.2025
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	17.03.2026
➢ निर्णय की तिथि	17.03.2026
➢ Date of the Sentencing Order, if any	Not Applicable
अभियुक्त का विवरण	

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ़्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detection Undergone during Trial for Purpose of Section 428 Cr.P.C
ए–1	नागो यादव उर्फ नागेश्वर यादव	.....		304, 420 एवं 102बी भा0द0वि0	d Acquitte	N/A	N/A

1. प्रस्तुत वाद के अभियुक्त आवेदक नागो यादव उर्फ नागेश्वर यादव के विरूद्व भा0द0वि0 304, 420 एवं 120 बी के अंतर्गत आरोप का विचारण किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद सूचक बिजेन्द्र यादव के फर्द बयान पर आधारित है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है, कि उसकी माता भुलनी देवी उम्र 60 वर्ष उसके पेट में दर्द हो रहा था तथा दर्द का ईलाज करने के नाम पर डॉ0 नागो यादव, शिव गंगा मेडिकल संचालक मनोज कुमार एवं रूपेश कुमार ने बरगलाते हुये ओम शांति जनसेवा क्लिनिक मेन रोड़ त्रिवेणीगंज खादी भंडार के बगल में दिनांक 13/02/2020 को भर्ती कर लिया और ईलाज के क्रम में BIO LAB TBG जॉच घर थाना रोड में जॉच कर दिनांक 15/02/2020 को रात्रि समय करीब 2 बजे में डॉ0 नागो यादव अपने सहयोगियों के साथ उसकी माता भुलनी देवी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, जहॉ किसी को जाने नहीं दिया गया। वह अपनी माता को मरणासन्न हालत देख उसे गंगजला चौक डॉ0 रंजेश कुमार सिंह के पास भर्ती करवाया, जहॉ जॉचोपरांत डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि मरीज का बचना मुश्कील है और उसका गलत ऑपरेशन हुआ है, पैखाना, पैशाव के नली व नस को क्षत विछत कर एक साथ बॉध दिया है। अब इस हालत में ईलाज होना असंभव है। इसी गलत ऑपरेशन से उसकी माता की दिनांक 03/03/2020 को 09:00 बजे दिन में मृत्यु हो गयी।

3. सूचक के उपरोक्त कथन के आधार पर त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या–66/2020 दिनांक 08/03/2020 संस्थित किया गया। तत्पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त आवेदक नागो यादव उर्फ नागेश्वर यादव के विरूद्व आरोप पत्र सं0–104/2020 समर्पित किया गया। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा–304, 420, 120बी0 भा0द0वि0 के अंतर्गत दिनांक 24/09/2020 को अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विद्वान निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 15/01/2021 द्वारा वाद का दौरा सुपुर्द किया गया तथा अभिलेख दिनांक 21/01/2021 को प्राप्त हुआ। अंत में अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त नागो यादव उर्फ नागेश्वर यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 304, 420, 120बी0 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है।

5. उक्त अभियुक्तों का बयान दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 17/03/2026 को दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

6. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारण का सामने कर रहे उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे इस प्रकार साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं जिससे कि उन्हें इस वाद में दोषी साबित किया जा सके ?

मंतव्य

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचक सहित कुल 05 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1.	मनोज कुमार सिंह	P.W.-1
2.	ललन कुमार उर्फ ललन कुमार यादव	P.W.-2
3.	सुबोध यादव उर्फ सुबोध कुमार	P.W.-3
4.	कामेश कुमार	P.W.-4
5.	राजेश कुमार	P.W.-5

8. इस वाद में अभियोजन की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से इस वाद में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया कि इस वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है और न ही उक्त घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी ठोस विधिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने की प्रार्थना की गयी।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत सूचक एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से प्रतीत होगा कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध अपना मामला को साबित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्तों वाद में दोषी करार करने की प्रार्थना की गयी।

12. प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में कुल 05 साक्षियों को प्रस्तुत कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी सं0–01. मनोज कुमार सिंह, अभियोजन साक्षी सं0–02. ललन कुमार उर्फ ललन कुमार यादव, अभियोजन साक्षी सं0–03. सुबोध यादव उर्फ सुबोध कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–04. कामेश कुमार एवं अभियोजन साक्षी सं0–05. राजेश कुमार है, इन्होंने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि वे घटना के बारे में कुछ नहीं जानते है, पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था तथा मुदालह को पहचानते है। इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के तथ्यपरक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से कुल 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, लेकिन उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्व नहीं होती है, क्योंकि अभियोजन की ओर से जितने भी साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, उन्होंने अपने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे घटना के बारे में कुछ नहीं जानते है, पुलिस उससे पूछताछ नहीं किया तथा इन सभी साक्षियों को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से ना तो सूचक ना ही अनुसंधानकर्त्ता का साक्ष्य कराया है, जबकि सूचक को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय के द्वारा पर्याप्त अवसर भी प्रदान किया तथा उसके विरूद्व जमानतीय अधिपत्र एवं गैर जमानतीय अधिपत्र भी जारी किया गया है, इसके बावजूद भी सूचक न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु नहीं आये। इस तरह अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियोजन की ओर से जितने भी साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है, उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि सूचक अपने वाद के समर्थन में ना तो स्वयं ना ही अनुसंधानकर्त्ता को परीक्षित कराया गया है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वाद में विचारण का सामना कर रहें उक्त अभियुक्त के विरूद्व सूचक की माता के साथ हुई घटना में शामिल होने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिसे अभियोजन की घटना साबित हो सके। अतः इस न्यायालय के मतानुसार अभियोजन इस वाद के अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को सभी युक्ति–युक्त रूप से संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप :–

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त आवेदक नागो यादव उर्फ नागेश्वर यादव को भा0द0वि0 304, 420, 120बी के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को बंधपत्र के समस्त उत्तरदायित्वों, यदि कोई हो, से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज यथा दिनांक 17/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः—17.03.2026

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः—17.03.2026

Date of Judgment/ Order	17.03.2026
Date of Reserving Judgment/ Order	17.03.2026
Uploaded Date	
Uploaded by	Nitish Kumar, DEO